पंचायत निगरानी संख्या : 54 / 2024

उनवान : मृतक तुलसाराम के का.मु. गंगादेवी व अन्य बनाम नारायणलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

नये नम्बर	गत नम्बर
पंचायत निगरानी संख्या : 54 / 2024	पंचायत निगरानी संख्याः 198 / 2020
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 61	जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2020 / 00297

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
मृतक तुलसाराम के कायम मुकाम वारिसानः– 1. श्रीमती गंगादेवी पत्नी तुलसाराम 2. थानाराम पुत्र श्री तुलसाराम 3. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री तुलसाराम 4. श्रीमती शान्ति पुत्री तुलसाराम 5. श्रीमती गीता पुत्री तुलसाराम 6. श्रीमती विमला पुत्री श्री तुलसाराम जाति मेघवाल निवासी बारवा तहसील बाली जिला पाली राज.	बनाम	1. नारायणलाल पुत्र नत्थाराम जाति मेघवाल निवासी इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी सेवाडी तह. बाली जिला पाली राज. 2. ग्राम पंचायत बारवा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बारवा प.स. बाली 3. कन्या देवी पुत्री श्री जेठाराम पत्नी श्री पूरण जाति मेघवाल निवासी लालराई तहसील बाली जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत बारवा मे तथाकथित मिसल संख्या निल जिसकी पालना में पट्टा संख्या 6948 दिनांक 30.11.1975 को निरस्त किये जाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एम.ए. कलाम।
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।
3. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार।

<u>–:निर्णयः–</u>

दिनांकः 29.05.2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **तहत ग्राम पंचायत बारवा मे तथाकथित मिसल संख्या निल जिसकी पालना में पट्टा संख्या 6948 दिनांक 30.11.1975 कराने बाबत्** पेश की गई निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है किः–

1. यह है कि ग्राम बारवा में प्रार्थी का पुश्तैनी, कब्जाशुदा भूखण्ड निम्न पड़ौस का स्थित है।
   उत्तर मेंः– तुलसाराम पुत्र हंसाजी मेघवाल का भूखण्ड

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 54/2024

उनवान : मृतक तुलसाराम के का.मु. गंगादेवी व अन्य बनाम नारायणलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

दक्षिण में:– बाबुलाल पुत्र खरताजी हिरागर का भूखण्ड, जो रगाराम पुत्र कूपाजी मेघवाल ने खरीदा है।

पूर्व में 20 फीट चौड़ा रास्ता (आम रास्ता)

पश्चिम में:– धनीया पुत्र सूमाजी मेघवाल का भूखण्ड, जो इदाराम पुत्र रताराम मेघवाल ने खरीदा है।

उपरोक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का अपने पूर्वजों अर्थात पिता व दादाजी के समय से कई दशकों से आधिपत्य चला आ रहा है। वर्तमान में उपरोक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा है एवं प्रार्थी द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना के तहत प्राप्त स्वीकृत राशि से मकान का निर्माण करवाया है एवं उपरोक्त मकान में प्रार्थी को परिवार निवास करता है। प्रार्थी अपने परिवार सहित उपरोक्त भूखण्ड पर काबिज है तथा उपरोक्त भूखण्ड मय मकान के फोटोग्राफ्स साथ सलंग्न है।

2. यह है कि उपरोक्त वर्णित भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। प्रार्थी बी.पी.एल. श्रेणी में आता है। राज्य सरकार द्वारा बी.पी.एल. आवास योजना लागू की गयी, उस आवास योजना के तहत प्रार्थी की पत्नी गंगा के नाम से आवास निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गयी। उस राशि के द्वारा प्रार्थी ने उपरोक्त भूखण्ड पर मकान का निर्माण करवाया। प्रार्थी उपरोक्त भूखण्ड पर अपने परिवार सहित काबिज है। आज से कुछ दिन पूर्व अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी के उपरोक्त कब्जाशुदा भूखण्ड मय मकान पर एक औरत को लेकर आया तथा भूखण्ड दिखाने लगा, तब प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 को पूछा की मेरा भूखण्ड मय मकान क्यों दिखा रहे हो, तब अप्रार्थी संख्या 01 ने कहा कि उक्त भूखण्ड मेरा है तथा उसके पक्ष में उक्त भूखण्ड का अप्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत बारवा से पट्टा बना हुआ है, तब प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 01 के पट्टे की प्रथम बार जानकारी हुई।

3. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत कर प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जाशुदा भूमि (बाडे) का आगे वर्णितानुसार विधि एवं नियम विरुद्ध पट्टा संख्या 6948 दिनांक 30.11.1975 के तहत प्रश्नगत पट्टा अवैधानिक रुप से नियमों को ताक पर रखकर जारी किया है, जो पट्टा संख्या 6948 आगे वर्णित कारणों एवं आधारो पर निरस्त करने योग्य है।

4. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 मूल निवासी सेवाडी का है, कभी भी बारवा में इसका निवास नहीं रहा है, न ही बारवा में कभी कृषि, मजदूरी की है। बारवा ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में भी अप्रार्थी संख्या 01 का कभी निवास नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच वगैरह से मिलावट कर प्रार्थी के पैतृक पुश्तैनी भूखण्ड का आगे वर्णितानुसार अधिकारिताविहिन एवं विधि नियम विरुद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया है, जो निरस्त योग्य है।

5. यह है कि जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायत एवं नया पंचायत साधारण नियम 1961 के नियमों को ताक पर रखकर प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि पर बिना मिसल कायम किये ही अपनी अधिकारिता से परे जाकर फर्जी एवं कूटरचित रुप से जारी किया गया है, जो जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है।

6. यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने जैर निगरानी पट्टा के लिये अप्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत बारवा के यहां राजस्थान पंचायत एवं नया पंचायत साधारण नियम 1961 के नियम 256 के तहत हासिल करने भूमि विक्रय विलेख बाबत् कोई भी आवेदन किसी भी दिनांक को पेश नहीं किया, न ही उक्त आवेदन दर्ज रजिस्टर कर ग्राम पंचायत ने कोई मिसल कायम की, अतः वादग्रस्त भूमि का जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 02 के तत्कालीन सरपंच को अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी करने का विधिक हक, अधिकार एवं अधिकारिता नहीं थी, फिर भी अपनी अधिकारिता से परे जाकर अप्रार्थी संख्या 02 के तत्कालीन सरपंच

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

पंचायत निगरानी संख्या : 54/2024

उनवान : मृतक तुलसाराम के का.मु. गंगादेवी व अन्य बनाम नारायणलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

ने अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो प्रथम दृष्टया निरस्त करने योग्य है।

7. यह है कि नियमानुसार सर्वप्रथम नियम 256 (1) के तहत क्रय के लिये आवेदन पेश होने पर नियम 256 (2) के तहत आवेदक को आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के 2 रुपये की राशि जमा करवानी पड़ती है तथा ऐसे मामलों में सचिव उक्त आवेदक की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण करने के पश्चात स्थल नक्शा तैयार करेगा, तत्पश्चात सचिव नियम 257 के तहत ऐसे आवेदन को एक रजिस्टर में रजिस्टर करेगा और फाईल खोलेगा, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 का पक्ष करते हुए उक्त नारायण पुत्र नत्था द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आवेदन पेश हुए, बिना पत्रावली दर्ज रजिस्टर किये, बिना सचिव को स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिये तथा सचिव द्वारा आवेदक अप्रार्थी संख्या 1 नारायण की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण का नक्शा तैयार किये बिना, पत्रावली दर्ज रजिस्टर किये बिना, बिना तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नियुक्त किये, बिना पंचों द्वारा स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये अप्रार्थी संख्या 02 के तत्कालीन सरपंच ने अप्रार्थी संख्या 01 नारायणलाल के साथ मिलीभगत एवं मिलावट कर विधि एवं नियम विरुद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया, जो प्रथमदृष्टया निरस्त करने योग्य है। जैर निगरानी पट्टा फर्जी एवं कूटरचित तैयार किया गया है, इस प्रकार नियम 256 से 258 की कोई विधिवत पालना नहीं कर घोर उल्लंघन किया है, अतः प्रथमदृष्टया जैर निगरानी पट्टा नियम एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्त करने योग्य है।

8. यह है कि नियम 260 (1) के तहत 30 दिन का आक्षेप का आमंत्रित करने का नोटीस जारी करने से पूर्व नियम 259 (1) के तहत ग्राम पंचायत को अपनी बैठक में सर्वसम्मति से अंतिम रुप से यह विनिश्चय करना पड़ता है कि प्रस्तावित विक्रय किया जाये या नहीं, नियमानुसार ऐसा विनिश्चय करने के बाद ही आपत्ति नोटीस जारी किया जाता है, परन्तु अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा नियम 259 (1) के तहत ऐसा कोई अंतिम विनिश्चय पारित नहीं किया और न ही नियम 260 के तहत आक्षेप आमंत्रित करने बाबत कोई नोटीस जारी किया। अतः जैर निगरानी पट्टा 259(1) एवं 260 की घोर उल्लंघन कर जारी किया गया है अतः जैर निगरानी पट्टा विधि नियमों के विरुद्ध होने से निरस्त करने योग्य है।

9. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जा शुदा भूमि/वाडा हडप करने की गरज से विवादग्रस्त फर्जी पट्टे की आड में प्रार्थी को उसकी कब्जा शुदा भूमि से बेदखल करने हेतु आमादा है, जिससे प्रार्थी को सख्त प्रिज्युडिश हो रही है।

10. यह है कि जैर निगरानी पट्टा जो अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया है उक्त पट्टे में दी गयी शर्तों का भी अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पालना नहीं की गई है। उक्त पट्टे में शर्त संख्या 03 दर्ज है, उसमें स्पष्ट अंकित किया गया है कि आवंटित भूमि को हस्तान्तरण का कोई अधिकार आवंटी को नहीं होगा, उसके बाद भी अप्रार्थी संख्या 01 ने उक्त पट्टे को कन्यादेवी के नाम बख्शीश कर दिया, जिस कारण भी जैर निगरानी पट्टा निरस्त करने योग्य है।

11. यह है कि पट्टे की शर्त संख्या 07 में अंकित है कि झूठा विवरण दर्ज कर पट्टा प्राप्त किया गया है तो पट्टा रद्द कर दिया जायेगा। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने पेश आवेदन में मिथ्या कथन दर्ज किये है, उसके अपने स्वयं को बारवा का मूल निवासी बताया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 01 कभी भी बारवा का मूल निवासी नहीं रहा है,बल्कि अप्रार्थी संख्या 01 सेवाडी का मूल निवासी है। अप्रार्थी संख्या 01 बारवा में कभी कृषि, मजदूरी नहीं की है। उक्त शर्त का भी अप्रार्थी संख्या 01 ने पालन नहीं किया गया एवं आवेदन में मिथ्या कथन दर्ज कर तत्कालीन सरपंच से मिलावट कर जैर निगरानी पट्टा प्राप्त किया है एवं पट्टे की शर्त संख्या 08 में स्पष्ट अंकित किया है कि आवंटन के 02 वर्ष के अन्दर भूखण्ड पर मकान या झोपड़ा इत्यादि बनाना अनिवार्य होगा, लेकिन अप्रार्थी संख्या 01

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

पंचायत निगरानी संख्या : 54/2024
उनवान : मृतक तुलसाराम के का.मु. गंगादेवी व अन्य बनाम नारायणलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

का विवादग्रस्त प्लोट पर कभी कब्जा नहीं रहा है, इससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने पट्टे में वर्णित शर्तों की भी पालना नहीं की है, इस कारण भी जैर निगरानी पट्टा निरस्त एवं अपास्त योग्य है।

12. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत एवं मिलावट कर प्रार्थी के पैतृक पुश्तैनी भूखण्ड का विधि नियम विरुद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया है, पट्टे को देखने से भी स्पष्ट है कि पट्टे पर आवंटी के हस्ताक्षर की जगह आवंटी का अगुंष्ठ निशान एवं हस्ताक्षर नहीं होकर किसी नत्था नाम के व्यक्ति का अगुष्ठ निशान अंकित है, इससे भी स्पष्ट है कि तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत एवं मिलावट कर प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जाशुदा बाडे का पट्टा विधि विरुद्ध एवं नियमों को ताक पर रखकर फर्जी तरीके से जारी किया, जो निरस्त योग्य है।
13. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा किसी नियम के तहत पट्टा जारी किया गया है वह नियम भी अंकित नहीं है, जबकि पंचायत साधारण नियम में निःशुल्क पट्टा नियम 267 के तहत जारी किया जाता है, जबकि जैर निगरानी पट्टे को किस नियम के तहत जारी किया गया है, कुछ भी अंकन नहीं है। इस कारण भी जैर निगरानी पट्टा निरस्त करने योग्य है।
14. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी के पैतृक एवं पुश्तैनी भूखण्ड का विवादग्रस्त पट्टा बनाकर उक्त पट्टे की आड में प्रार्थी के कब्जाशुदा भूखण्ड पर नाजायज व अनाधिकृत अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिससे प्रार्थी को सख्त प्रिज्युडिश हो रही है।अतः प्रार्थी व्यथित पक्षकार होने से यह निगरानी पेश कर रहा है। विधि में निगरानी हेतु कोई म्याद अवधि निर्धारित नहीं है, फिर भी प्रार्थी जानकारी के दिन से शीघ्रातीशीघ्र प्रार्थी व्यथित पक्षकार होने से उक्त निगरानी प्रस्तुत कर रहा है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमावें तथा जैर निगरानी पट्टा संख्या 6948 दिनांक 30.11.1975 निरस्त फरमावें।

निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को ज़रिए सम्मन तलब किया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या एक व तीन की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी एवं अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृतलाल परिहार उपस्थित आए।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 03 ने निगरानी याचिका का जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

1. प्रार्थी द्वारा उपरोक्त पत्रावली की निगरानी के पद संख्या एक में जिस पड़ौस का भूखण्ड अपना पुश्तैनी कब्जाशुदा बताया है वह सरासर गलत एवं गैर कानूनी बताया है। जबकि निगरानी के पद संख्या एक में वर्णित पड़ौस का पट्टा नारायणलाल के नाम का पट्टा संख्या 6948 दिनांक 30.11.1975 का जारी किया हुआ हैं। जो पट्टा नारायणलाल को अनुसूचित जाति का कृषि मजदूर होने से जारी किया गया है नारायणलाल व उसके पिता ने लम्बे समय तक ग्राम बारवा में कृषि मजदूर की हैसियत से काम किया था एवं इसी के मध्य नजर राज्य सरकार की योजना के अनुसार नारायणलाल के नाम का पट्टा सरपंच, ग्राम पंचायत बारवा द्वारा किया गया था। जिस पर नारायणलाल ने दो साल के भीतर भीतर अपना झोपडा बना दिया था जिसमें नारायणलाल रहता था कालान्तर में नारायणलाल की वृद्धावस्था में वह अपने मूल गांव सेवाडी आ गया। जिस कारण पीछे बरसात के कारण झोपडा गिर गया लेकिन उस पर कब्जा अप्रार्थी नारायणलाल का ही रहा था। नारायणलाल ने अपने भूखण्ड पर एक पानी का हौद भी बनाया था जो भी बना हुआ है। नारायणलाल के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली- जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 54/2024

उनवान : मृतक तुलसाराम के का.मु. गंगादेवी व अन्य बनाम नारायणलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

कोई आल औलाद व पत्नी नहीं होने से नारायणलाल ने अपनी चचेरे बहन कनिया देवी को उपरोक्त प्लोट अपनी मनमर्जी से बख्शीश दिया था जिसका कोई पहले दस्तावेज नहीं था एवं तारीख 14.02.2020 को नारायणलाल ने अपनी चचेरी बहन के नाम बख्शीशनामें का पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय बाली में पुस्तक संख्या प्रथम जिल्द संख्या 182 पृष्ठ संख्या 13 क्रम संख्या 202003153100219 पर तारीख 14.02.2020 पंजीबद्ध किया गया है। जिस पर वर्तमान में कब्जा अप्रार्थी संख्या तीन कनिया देवी का है।

2. यह कि प्रार्थी जोर जबरदस्ती उक्त भूखण्ड को हड़प करना चाहते है ओर रातो रात कच्चा व पक्का निर्माण की धमकी देते है एवं वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में रेत पत्थर डालकर अतिक्रमण करने पर उतारु होने से अप्रार्थी संख्या तीन द्वारा श्रीमान सिविल जज साहब कनिष्ठ खण्ड बाली की न्यायालय में एक वाद स्थाई आज्ञापक निषेधाज्ञा का प्रार्थी के विरुद्ध पेश किया हुआ है। माननीय सिविल न्यायाधीश बाली ने तारीख 20.11.2023 को प्रार्थी तलसाराम व उसके पुत्र थानाराम व महेन्द्र कुमार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पुख्ता करते हुये अप्रार्थी संख्या तीन के मालिकाना हक के भूखण्ड पर निर्माण कार्य करने, अतिक्रमण करने आदि से रोकने का आदेश पारित किया है। इस प्रकार प्रार्थी अप्रार्थीगण को तंग व परेशान कर येनकेन प्रकारेण अप्रार्थी संख्या एक के नाम के पट्टे को दबाव देकर निरस्त करवाने पर उतारु है जबकि उक्त भूखण्ड नियमानुसार कृषि मजदूरों को राज्य सरकार की योजनाओं के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क जारी किया गया है जिस बाबत कानून में पंचायत साधारण नियम 1961 के नियम लागू नहीं होते है एवं इन नियमों के तहत किसी प्रकार की प्रक्रिया व पालना की जाना भी कानूनन आवश्यक नहीं था। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या एक के नाम जारी किया गया पट्टा जो नियमानुसार अप्रार्थी संख्या तीन के नाम रजिस्टर्ड बख्शीशनामें से वर्तमान में अप्रार्थी संख्या तीन के कब्जे व मालिकाना हक में होने से प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय जो निगरानी पेश की गयी है वह गलत व गैर कानूनी होने से काबिल खारिज है।

3. यह कि अप्रार्थी संख्या एक के नाम पट्टा तारीख 30.11.1975 को जारी किया गया है एवं उस पट्टे को वक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या एक को कब्जा सुपूर्द किया गया था जिस पर अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा था एवं झौपड़ा बना हुआ था। इस प्रकार प्रार्थी के नाम जारी सन् 1975 के उपरोक्त पट्टे की जानकारी रही है लेकिन उसके 45 वर्षों बाद उक्त में प्रार्थी ने यह स्वीकार किया है कि अप्रार्थी संख्या एक के पिता ने प्रार्थी को उपरोक्त पट्टा 2010 में बैचान कर दिया था। इस प्रकार 2010 में अप्रार्थी संख्या एक के नाम गुम हुये मूल पट्टे को प्रार्थी ने हासिल कर उस बाबत एक फर्जी लिखत अप्रार्थी संख्या एक के पिता की मृत्यु के बाद अपने पक्ष में अवैधानिक रुप से तैयार करवाया है और उसके आधार पर सिविल कोर्ट में अपना डिफेन्स प्रस्तुत किया था उससे भी यह साबित है कि प्रार्थी को वादग्रस्त पट्टे की जानकारी पहले से थी लेकिन उसने उस पट्टे को चुनौति नहीं दी है जो प्रार्थी की निगरानी स्पष्ट रुप से म्याद बाहर है।

प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड यथा बैठक कार्यवाही रजिस्टर तथा मूल पट्टा तलब होकर शामिल पत्रावली किया गया तथा उभयपक्षों की बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने निगरानी याचिका में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी श्री नारायणलाल ग्राम पंचायत बारवा का मूल निवासी न होकर ग्राम सेवाडी का निवासी है, उसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत बारवा द्वारा अप्रार्थी श्री नारायणलाल को जैर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली-जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 54/2024
उनवान : मृतक तुलसाराम के का.मु. गंगादेवी व अन्य बनाम नारायणलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 6948 दिनांक 30.11.1975 निष्पादित किया गया है, जो प्रथमदृष्टया ही खारिज योग्य है। यह भी, कि उक्त पट्टा विलेख निष्पादित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा तत्समय प्रवृत्त साधारण नियम 1961 के प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई जिनका बिन्दुवार विवरण याचिका में अंकित किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या एक द्वारा विवादग्रस्त भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या तीन के पक्ष में निष्पादित बक्शीशनामें में अंकित आयु सम्बन्धि विवरण अनुसार आलोच्य पट्टा विलेख दिनांक 30.11.1975 निष्पादन के समय पट्टाधारी श्री नारायणलाल नाबालिग था। ग्राम पंचायत द्वारा नाबालिग के पक्ष में भूमि विक्रय कर अवैधानिक कार्यवाही प्रभाव में लाई गई है, जो निरस्त योग्य है। काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने बहस को समेकित करते हुए निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूखण्ड पर प्रार्थीगण का बी.पी.एल. आवास योजनान्तर्गत मकान निर्मित होकर रहवासी कब्जा है, अतः उपरोक्त आधारों पर निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी नारायणलाल के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख को निरस्त फरमावें।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या एक एवं तीन ने उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक श्री नारायणलाल तत्समय बारवा गांव में ही निवासरत थे तथा कृषि मजदूर के रुप में कार्यरत होने से एक सरकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत श्री नारायणलाल को उक्त भूखण्ड वर्ष 1975 में आवंटित होकर आलोच्य भूमि विक्रय विलेख दिनांक 30.11.1975 को जारी किया गया था। उपरोक्त तथ्य पट्टे हेतु प्रस्तुत आवेदन तथा पट्टा विलेख पर अंकित विवरण से प्रमाणित है। कालान्तर में अप्रार्थी ग्राम सेवाडी में निवास करने लगे। यह भी, कि प्रार्थीगण को ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है किन्तु 45 वर्षों के असामान्य विलम्ब उपरान्त हस्तगत निगरानी याचिका प्रस्तुत कर प्रार्थीपक्ष द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है।

काबिल अधिवक्ता, अप्रार्थीपक्ष ने यह भी जाहिर किया कि इसी भूखण्ड के सम्बन्ध में उभयपक्षकारों के मध्य न्यायालय सिविल न्यायाधीश बाली में सिविल वाद लम्बित है जो हस्तगत निगरानी याचिका से भी पूर्व प्रस्तुत किया गया है तथा सिविल न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या तीन के पक्ष में एवं प्रार्थीपक्ष के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा भी पारित की गई है।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ ग्राम पंचायत बारवा ने वक़्त बहस प्रवृत नियमों व उपबन्धों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं मूल रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

प्रकरण की संक्षिप्त विषयवस्तु इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत बारवा द्वारा अप्रार्थी श्री नारायणलाल पुत्र नाथाजी मेघवाल के पक्ष में भूमि विक्रय विलेख संख्या 6948 दिनांक 30.11.1975 निष्पादित किया गया, जो कि पट्टा विलेख में अंकित विवरण अनुसार अनुसूचित जाति व जनजाति, कारीगर लघु व सीमान्त किसान को निःशुल्क आवासीय आवंटन के रुप में निष्पादित किया गया था। श्री नारायणलाल द्वारा उक्त पट्टाशुदा भूखण्ड को दिनांक 14.02.2020 को अपनी चचेरी बहन अर्थात अप्रार्थी संख्या तीन श्रीमती कन्या देवी को ज़रिए पंजीबद्ध बख्शीशनामों के हस्तान्तरित किया गया।

अप्रार्थीपक्ष द्वारा वक़्त सुनवाई प्रस्तुत दस्तावेजों से यह ज्ञात हुआ कि ज़ैर निगरानी विवादग्रस्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उभयपक्षकारों के मध्य न्यायालय सिविल न्यायाधीश बाली में सिविलवाद लम्बित है तथा माननीय न्यायालय द्वारा दीवानी विविध प्रकरण संख्या 05/2020 दिनांक 20.11.2023 को निर्णीत करते हुए विवादग्रस्त आराजी की मौके एवं अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षकारों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। उक्त निर्णय दिनांक 20.11.2023 बउनवान "कनिया देवी बनाम तलसाराम व अन्य" के ससम्मान किन्तु गहनतापूर्वक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 54/2024
उनवान : मृतक तुलसाराम के का.मु. गंगादेवी व अन्य बनाम नारायणलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि उक्त सिविल कार्यवाही में प्रार्थीगण ने बतौर अप्रार्थी प्रस्तुत जवाब व काउन्टर क्लेम में इस भूखण्ड के सम्बन्ध में ऐसे तथ्यों का अंकन किया है जो उनके द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका में या तो अंकित नहीं किए गए अथवा जानबुझकर छिपाए गए है, यथा– प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत जवाबपत्र में यह अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या एक एवं पट्टाधारी श्री नारायणलाल के पिता श्री नथाराम से जैर निगरानी विवादित भूखण्ड प्रार्थीगण के पिता स्व. तलसाराम द्वारा दिनांक 18.06.1991 को पांच रुपये के स्टाम्प पेपर पर क्रय किया गया था तथा आलोच्य मूल पट्टा विलेख भी प्राप्त किया गया। अर्थात् प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार आलोच्य पट्टा विलेख की जानकारी प्रार्थीगण को वर्ष 1991 से ही रही है किन्तु उनके द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका में इस तथ्य का कहीं कोई अंकन नहीं किया गया, अपितु याचिका के पद संख्या दो में आलोच्य पट्टा विलेख की सर्वप्रथम जानकारी के सम्बन्ध में विरोधाभाषी एवं मिथ्या कथन भी अंकित किए गए।

सिविल न्यायालय के अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् निर्णय दिनांक 20.11.2023 के पद संख्या तीन में अंकित विवरण अनुसार प्रार्थीगण ने उक्त सिविल कार्यवाही में प्रस्तुत जवाबपत्र में यह भी अंकन किया है कि इसी भूखण्ड के सम्बन्ध में प्रार्थी संख्या तीन श्री महेन्द्र के पक्ष में ग्राम पंचायत बारवा से मिसल संख्या 224/2014–15 कायम कर ज़रिए प्रस्ताव संख्या दो दिनांक 05.11.2014 नवीन पट्टा विलेख निष्पादित करवा दिया गया है।

अर्थात् ज़ैर निगरानी मूल पट्टा विलेख संख्या 6948 दिनांक 30.11.1975, जो कि आदिनांक प्रभाव में है, को निरस्त करवाये बिना ही प्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक ढंग से इसी भूखण्ड का नवीन पट्टा विलेख स्वयं के पक्ष में जारी करवाया गया, जैसा कि उक्त सिविल कार्यवाही में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबपत्र से स्वतः प्रमाणित है।

प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्य हस्तगत निगरानी याचिका में अंकित नहीं करना न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का कुत्सित प्रयास प्रतीत होता है।

साथ ही, न्यायालय हाजा इस तथ्य को नज़रअन्दाज नहीं कर सकता है कि ज़ैर निगरानी विवादग्रस्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उभयपक्षों के मध्य सिविल न्यायालय में वाद कार्यवाही लम्बित है, जिसमें आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 6948 दिनांक 30.11.1975 भी विषयवस्तु के रुप में समाविष्ट है।

प्रार्थीगण द्वारा उक्त सिविलवाद सम्बन्धि तथ्य को न्यायालय हाजा के समक्ष उजागर नहीं करना प्रार्थीपक्ष की मंशा पर संदेह उत्पन्न करता है। साथ ही, न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि उक्त सिविलवाद के अन्तिम निर्णय से पूर्व आलोच्य भूमि विक्रय विलेख की वैधता अथवा अवैधानिकता के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित करना माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश बाली में लम्बित सिविलवाद के अन्तिम निस्तारण को अवश्य प्रभावित करेगा।

अतः हस्तगत निगरानी याचिका इस स्तर पर खारिज की जाती है। उभयपक्ष उक्त सिविलवाद के निस्तारण उपरान्त माफिक निर्णय पुनः निगरानी कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक **29.05.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली